

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत।

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना।

क्र० सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
1	अपने संगठन की बिशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।	औद्योगिक इकाईयों की सथापना उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, विधुत भार स्वीकृत कराना, उद्योगों के स्थापनार्थ औद्योगिक/मिनी औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्ड का आवन्तन कराना, उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराना, आदि से सम्बन्धित आँकड़ों की सूचना पाक्षिक एवं मासिक रूप से प्रेषण करना।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शाक्तियाँ और कर्तव्य।	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कम संख्या निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (विपणन), सहायक प्रबन्धक सौख्यकीय सहायक, अन्वेषक/संगणक, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का चालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत निकट-अमरिया बस स्टेण्ड पर स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान।	महाप्रबन्धक नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है, जिसके नियन्त्रण में प्रबन्धक (विपणन) सहायक प्रबन्धक, सौख्यकीय सहायक, अन्वेषक/संगणक कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधीन रहते हुये शासकीय कार्य करते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धरित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक और अभिलेख।	संस्था द्वारा महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (विपणन) सहायक प्रबन्धक सौख्यकीय सहायक, अन्वेषक/संगणक कार्यालय सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं शासनादेश एवं पूर्व धोति नियमावली के अनुसार कार्यरत कार्य करते हैं तथा अभिलेख आदि रहते हैं।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धरित किये गये हैं, अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथावा उसके कार्यन्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामार्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस संस्था का कार्य जिलाधिकारी/मुख्यविकास अधिकारी के निर्देशन में किया जाता है, जिला के स्तर की बैठकों में औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों द्वारा भाग लिया जाता है, तथा कार्यक्रम अनुमोदित कराया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों द्वारा भाग लिया जाता है, जिनकी राय/सुझाव लिये जाते हैं। तदनुसार कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया जाता है।

	कार्य वृत्त लोगों के लिये सुलभ है।	
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें विनियमों में यक्ष उपबन्धित प्रति कर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों ऑकडे उपलब्ध कराते हैं, तथा मासिक रूप से ऑकडे संयुक्त निदेश उद्योग, बरेली/आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर को उपलब्ध कराये जाते हैं।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावितव्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टतायाँ ऑवन्टित बजट।	इस संस्था का बजट जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर से प्राप्त होता है, जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करते सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक रूप से व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें ऑवन्टित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित है।	सहायिकी विकास कार्यक्रमों में उधमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अनुसूचित जाति/जन जाति प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित धनराशि से निति के अनुसार योजना को कार्यान्वित करके लाभार्थियों को सहायता प्राप्त की जाती हैं, लाभार्थियों के ब्योरे आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेजे जाते हैं।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुशपत्रों में या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।	समय-समय पर शासन के निर्देशानुसार औद्योगिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उत्पादों की गुणवत्ता हेतु विभिन्न स्थानों पर विभाग द्वारा मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	संस्था द्वारा समस्त सूचनाओं उच्च अधिकारियों को संकलित करके प्रत्येक माह नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिकस मीडिया को भी प्रचार हेतु दी जाती है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के या यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है। तो कार्य करण के धण्टे सम्मिलित है।	वर्तमान में ऐसी कोई वयवस्था उपलब्ध नहीं हैं।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	<ol style="list-style-type: none"> हिमांशु गंगवार, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत। प्रथम अपीलीय अधिकारी। मो0 न0-9456427979 रामदरश, सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत। जन सूचना अधिकारी, मो0 न0-9719948440. अशोक कुमार मिश्रा, (आशुलिपिक) जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत। (सहायक सूचना अधिकारी) मन्नर सिंह, बरिष्ठ लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत। (सहायक सूचना अधिकारी)

(हिमांशु गंगवार)
महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
पीलीभीत।

विभाग का नाम— जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत।

क्रम संख्या	विभाग तथा विभाग के नियंत्रधीन/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/उपक्रम/परिषद/बोर्ड संस्था का नाम।	अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि।
1	2	3	4	5
1	जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत।	बर्तमान में कार्यालय में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है बांडवैड कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है। कनेक्शन प्राप्त होते ही वेबसाइट तैयार कर नेट पर अपलोड कर दी जायेगी।	—	—

विभाग का नाम— जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत।

क्रम संख्या	विभाग तथा विभाग के नियंत्रधीन/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/उपक्रम/परिषद/बोर्ड संस्था का नाम।	अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि।
1	2	3	4	5
1	जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत।	16	—	—

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
पीलीभीत।